(क) क्या फरवरी, 2012 में ग्रीन हंट आपरेशन के दौरान बिहार के नक्सल प्रभावित जमुई जिले में बंदरमारा ग्राम में अफीम की खेती पकड़ी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार घटना की जांच सीबीआई से कराएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) और (ख) : बिहार पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2012 को ‘आपरेशन ब्लैक हंट-।’ नामक-एक संयुक्त स्थानीय घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान बिहार के जमुई जिले के बंदरमारा गाँव में अफीम के पौधों की खेती का पता लगाया गया था और सुरक्षा बलों द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी) के साथ मिलकर इसे नष्ट किया गया था। इस संबंध में पुलिस स्टेशन चरकापट्टर, जिला जमुई में दिनांक 24.02.2012 को एन डी पी एस अधिनियम, 1985 की धारा 18, 46 और सी. एल. ए. अधिनियम की धारा 17 के तहत एक मामला अपराध संख्या 21/2012 दर्ज की गई थी। मामला जाँच धीन है।**

**(ग) : सी बी आई द्वारा मामले में जाँच किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।**